

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

33/10

1

पुमराज वगैरे vs सरकार वगैरे

4/5/10

दावा बचत दोषणा खातेदारी इन्डाज दुकस्ती स्थायी निषेधाज्ञा

4/5/10 वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल

एडवोकेट ने दावा बचत दोषणा खातेदारी, इन्डाज

2468-74

दुकस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। अवलोकन

4/5/10

किया। दावा दर्ज रजिस्ट्र कर सम्मन विकसित प्रतिवादी

गण जारी होकर पत्रावली दिनांक 31/5/10 को पेश हो

सपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राजग)

3/5/10

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 2, 5, 6

के सम्मन प्राप्त। वापस दे सुचना को 3

उपस्थित नहीं तथा प्रतिवादी नं. 7 को

हान्न बनाया। प्रति. नं. 1, 3, 4 के

सम्मन अप्राप्त। P.O. सा. भीड़ों में

करोली पधार हैं। वास्तु अधिसूचना अधिसू

दि. 28/6/10 को पेश हो।

28/6/10

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1

का सम्मन अधिसूचना प्राप्त।

नं. 3, 4 के सम्मन अप्राप्त। वकील

वादी को सूचना किया गया कि प्रतिवादी

नं. 1, 3, 4 के तलवना सम्मन पुनः पेश

कें। वास्तु तलवना प्रतिवादी नम्बर

1, 3, 4 दि. 23/7/10 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (7)

फर्द अहकाम

26²/₁₅ वकूलाय उप / वास्ते कायदी संशोधित तनकी दि
12.3.15 को पेश हो।

12³/₁₅ वकूलाय उप / गतानुसार वास्ते कायदी संशोधित
तनकी दिनांक 20.3.15 को पेश हो।

20³/₁₅ वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अमरा
पर पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 28.4.15 को पेश हो।

28⁴/₁₅ वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करोली
में मीटिंग है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 26.5.15 को पेश हो।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिबिर किरादा
में दिनांक 23.6.15 को पेश हो।

23⁶/₁₅ पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिबिर
कैम्प किरादा पर पेश हुई। वादीगण तथा
प्रतिवादी गिरज भुरामल, गंगाधराय उप
हुए। लोक अदालत की भावना से प्रेरित
होकर राजीनामा इस प्रकार पेश हुआ कि
प्रकरण की भूमि नहर में चली गई है।
मौके पर नहर बनी हुई है। हमें मुआवजा
नहीं मिला है मुआवजा मिलना चाहिए।

Dr
त्रिभुज

Dr
त्रिभुजलाल

Dr
त्रिभुजराज

Dr

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>जौब / राजीनामा पर सरकार की डोर से पैरोकार सरकार नायब नहसीलदार टोडाभीम ने हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी नं. 3, 4 की मोर से उनके अधिवक्ता ने हस्ताक्षर का सहारा दी। राजीनामा के पठका का सभी पक्षकार को सुनाया गया सुन व समझना सही होना स्वीकार करते हुए दावा इती स्टेज पर खारिज करने का पुनः कपन किया तथा मुआवजा प्राप्त करने के लिए सिन्धार्थ विभाग में प्रकरण प्रस्तुत करने का भी कपन किया।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण (कॉन्ट्रक्लेम कर्ता) व अन्य दावा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए यह दावा इती स्टेज पर खारिज किया जाता है। पचाइकी जारी हो।</p> <p>पत्रावली के लिए शुभार होका नम्बर से कम होका दाखिल दफता है।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>